

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक:- 708/भू-प्रबंधन/ग्वालियर
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक:- 13/08/2024

कलेक्टर,
जिला- समस्त,
मध्यप्रदेश।


विषय:- स्वामित्व योजना अंतर्गत तैयार अधिकार अभिलेख में संशोधन की प्रक्रिया विषयक ।

- सन्दर्भ:-
1. कलेक्टर, जिला सीहोर का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 185 दिनांक 27.01.2023
 2. कार्यालय कलेक्टर भूअभिलेख, जिला कटनी का पत्र क्रमांक 203/भू-अभि/2023, कटनी, दिनांक 15.02.2023
 3. कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख), जिला भोपाल का पत्र क्रमांक 582/भू-अभि/2023, भोपाल दिनांक 24.03.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लिए तैयार अधिकार अभिलेख में मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (यथा संशोधित 2018) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत त्रुटि सुधार का प्रकरण निराकृत होने के उपरांत संशोधन आदेश के अनुक्रम में अधिकार अभिलेख में त्रुटि सुधार करने की सुविधा भूलेख portal पर उपलब्ध करा दी गई है, जिसका User manual संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:- User Manuals


आयुक्त 12/8

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक:- 13/08/2024

पृ. क्रमांक:- 708/भू-प्रबंधन/ग्वालियर
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मध्यप्रदेश भूअभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल।
3. अपर आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला-समस्त की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त 12/8

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश